3.8.24 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7.11.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7.11.24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर डिलवर्ड रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कितनी बार रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा